न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2017 – निगरानी

1. लेहरूलाल पुत्र खेमा प्रजापत निवासी अरनिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. हांसू पुत्र दल्ला भील निवासी अरनिया तहसील सहाडा
2. ग्राम पंचायत अरनिया जरिये सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत अरनिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत अरनिया पंचायत समिति सहाडा

उपस्थित –

1. श्री जे.सी. दाधीच अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.06.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा दिनांक 20.06.2001 को पटटा सं. 01 गैर निगराकार सं. 01 के नाम जारीशुदा पटटा विधि विरूद्व एवं मौके की परिस्थितियों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को 30 बाई 45 वर्गफीट का पटटा दिया गया वह भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर अवस्थित है तथा पास मे ही सार्वजनिक कुंई है जहां गांव की औरते पानी भरती है तथा प्रातः व सांयकाल पशु को कुंई से पानी निकाल कर पानी पिलाया जाता हैं, लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किये ही विवादित पटटा जारी कर दिया। पटटे में वर्णित ईबारत अनुसार वर्ष 2001 में इस प्रकार कोई पटटे देने का प्रावधान नही था और पंचायतों के प्रभारी अधिकारी जो कि जिलाधीश महोदय द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारी द्वारा ही पटटा देने का कथन पटटे में किया गया है, लेकिन पटटे को जारी करने वाला जिलाधीश द्वारा नियुक्त अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने पटटे के प्रोफार्म को काम में लिया जाकर फर्जी एवं कूटरचना कर पटटा जारी किया गया है। वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र के चारदीवारी नही है और चारदीवारी नहीं होने से लोगों द्वारा मनमकसूद तौर अतिक्रमण किया गया है। वर्तमान में हांसू भील का कोई कब्जा नहीं है और हांसू भील के नाम के पटटे वाली भूमि पर किसी अन्य व्यक्तियों ने मौके पर कब्जा कर पटटे की भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा हैं। पटटा निवास हेतु दिये जाने के बावजूद मौके पर कोई निवास नहीं है। पटटे में उल्लेखित शर्तों कि आवास का प्रयोजन, हस्तान्तरण नही होना तथा आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झौपड़ा बनाना इत्यादि की पालना आंवटी हांसू भील द्वारा नहीं की है। अर्थात हांसू भील का आवास प्रारम्भ नही हुआ है तथा उसने उक्त पटटे वाली भूमि को अन्य को हस्तान्तरण कर दी हैं क्योंकि मौके पर अन्य व्यक्ति

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

काबिज है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 हांसू भील के नाम जारीशुदा पटटा सं. 01 दिनांक 20.06.2001 ग्राम अरनिया को खारिज फरमायी जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 28.02.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत से पत्रावली तलब करने हेतु पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत अरनियां के पत्रांक/2018/19/05 दिनांक 21.06.2018 में अंकित किया कि पंचायत में उक्त पटटा संबंधी कोई भी पत्रावली संधारण किया जाना नही पाया गया है और न ही कोई ऐसी पटटा बुक पंचायत में मिली है। गैर निगराकार सं. 01 की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्तओं की बहस सुनी गयी। निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 10 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को 30 बाई 45 वर्गफीट का पटटा दिया गया वह भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर अवस्थित है तथा पास मे ही सार्वजनिक कुंई है जहां गांव की औरते पानी भरती है तथा प्रातः व सांयकाल पशु को कुंई से पानी निकाल कर पानी पिलाया जाता हैं, लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किये ही विवादित पटटा जारी कर दिया। वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र के चारदीवारी नही है और चारदीवारी नहीं होने से लोगों द्वारा मनमकसूद तौर अतिक्रमण किया गया है। वर्तमान में हांसू भील का कोई कब्जा नहीं है और हांसू भील के नाम के पटटे वाली भूमि पर किसी अन्य व्यक्तियों ने मौके पर कब्जा कर पटटे की भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा हैं। पटटा निवास हेतु दिये जाने के बावजूद मौके पर कोई निवास नहीं है। पटटे में उल्लेखित शर्तों कि आवास का प्रयोजन, हस्तान्तरण नही होना तथा आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झौपड़ा बनाना इत्यादि की पालना आंवटी हांसू भील द्वारा नहीं की है। अर्थात हांसू भील का आवास प्रारम्भ नही हुआ है तथा उसने उक्त पटटे वाली भूमि को अन्य को हस्तान्तरण कर दी हैं क्योंकि मौके पर अन्य व्यक्ति काबिज है। प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 हांसू भील के नाम जारीशुदा पटटा सं. 01 दिनांक 20.06.2001 ग्राम अरनिया को खारिज फरमायी जावे।

गैर निगराकार सं0. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार ने आदेश 1 नियम 8 जा.दी. की पालना नही की हैं, न कोई एक व्यक्ति ग्राम के प्रतिनिधी की हैसियत से निगरानी ही कर सकता है। गैर निगराकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पटटा पूर्णतः विधि सम्मत व नियमानुसार है। गैर निगराकार सं. 01 को जारी किये गये पटटे की भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर अवस्थित नहीं है तथा न ही सार्वजनिक कुईं उक्त वादग्रस्त भूमि के पास अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त स्थल सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि न होकर गैर निगराकार की कब्जेसुदा जायदाद है। ग्राम पंचायत ने समस्त औपचारिकताओं एवं नियमों की पालना करते हुये दिनांक 20.06.2001 को निशुल्क आवासीय भूखण्ड नपती 30 बाई 45 फीट भूमि का पटटा जारी किया है। यदि उप स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर कोई कब्जा होता तो संबंधित विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी के यहां अवश्य विधिक चाराजोही की जाती। निगराकार उक्त पटटेशुदा जायदाद को हड़पना चाहता है, इसी दुराशय से उसने मिथ्या व आधारहीन तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगराकार सं. 01 ने आवंटन शर्तों की पालना की है। आवंटन के पश्चात् उक्त भूखण्ड के चारों ओर बाऊण्ड्री कर अन्दर कच्चा मकान बना निवास करता चला आ रहा है। निगराकार ने यह निगरानी 16 वर्षों के घोर विलम्ब से प्रस्तुत की है, जिससे निगराकार की यह निगरानी बैरून मियाद होने से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निरस्तनीय है। प्रार्थना है कि निगराकार की यह निगरानी निरस्त फरमायी जावे।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 भूमियों का कमजोर वर्गों को आंवटन इस प्रकार है –

(1) पंचायत, गांव आबादियों में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।

(3) इस प्रकार आंवटित की गयी आबादी भूमि अन्तरणीय नहीं (अहस्तान्तरणीय) होगी। ऐसी सभी पटटों पर बडे अक्षरों में 'विक्रय के लिए नहीं' की मुहर लगायी जायेगी। यदि कोई भी आवंटिती ऐसे गृह स्थल/गृह को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विकीत करे तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, स्वामित्व, उस पर के संनिर्माण या पड़ी सामग्री के साथ पंचायत में निहित हो जायेगा और अंतरिती को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुए बेदखल कर दिया जायेगा।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया ने अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड श्री हांसू पिता दल्ला भील निवासी अरनिया के नाम पर दिनांक 20.06.2001 को 30 बाई 45 वर्गफीट का भूखण्ड का पटटा जारी किया गया। वर्तमान सरपंच अरनिया व ग्राम सेवक पदेन सचिव अरनिया ने जवाब में अंकित किया है कि हांसू के नाम जारी पटटे का कोई अभिलेख ग्राम पंचायत अरनिया में नही है। तत्कालीन सरपंच सोहनलाल बलाई द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र से सटी बेस कीमती भूमि को हड़पने एवं अतिक्रमण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में हांसू पिता दल्ल भील निवासी अरनिया के नाम की पत्रावली संधारित कर पटटा जारी किया गया। ग्राम पंचायत अरनिया की पत्रावली सं. 13 दिनांक 20.02.2016 अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र अरनिया के पटटे की भूमि पर पूर्व सरपंच श्री सोहनलाल सालवी निवासी अरनिया द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। वर्ष 2016 में आबादी भूमि की सरंपच ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही की जाने पर मौके पर सोहनलाल सालवी ने अतिक्रमणसुदा भूमि का हांसू/दल्ला भील के नाम पटटा जारी होना बताया है। ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा दिनांक 05.08.2016 को निर्णय पारित किया जो इस प्रकार है –"उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि सचिव द्वारा मौके पर लिखित में बयान दिये कि जारी पटटा की बुक ग्राम पंचायत द्वारा संधारित नही की गयी है। आवेदनकर्ता द्वारा पटटे से संबंधित कोई आवेदन भी नही किया गया व पत्रावली भी संधारित नही की गयी है। उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया कि हांसू पिता दल्ला भील निवासी अरनिया के नाम पर पूर्व में ही मकान बना हुआ है। उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि पटटा फर्जी है व उक्त पटटा खारिज करवाने हेतु निगरानी दर्ज करावे का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।"

ग्राम पंचायत अरनिया की पत्रावली सं. 13 दिनांक 20.02.2016 के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया ने राजकीय भवनों के बीच व सार्वजनिक कुई के पास होकर बेस कीमती जमीन पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में सोहनलाल पिता नानूराम सालवी निवासी अरनिया को दिनांक 25.02.2016 को नोटिस जारी किया। इस नोटिस के जवाब दिनांक 05.03.2016 में श्री सोहनलाल पिता नानूराम सालवी निवासी

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर मीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर मीलवाड़ा (राज.)

अरनिया ने उसके द्वारा अतिक्रमित भूमि के संबंध में हांसू पिता दल्ला भील निवासी अरनिया के नाम पटटा जारी होना बताते हुये इस पटटे की भूमि के उपयोग उपभोग करने हेतु हांसू की सहमति ले रखी है। सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया ने श्री हांसू पिता दल्ला भील निवासी अरनिया को दिनांक 20.06.2016 को भूखण्ड के संबंध में नोटिस जारी किया। जिस पर दिनांक 23.06.2016 को जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि पटटेशुदा भूमि के भूखण्ड पर कच्चा मकान निर्माण कर रखा है। पटटे की भूमि को सक्षम अधिकारी से निरस्त कराने की कार्यवाही करायी जावे। निगराकार ने वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया से पटटे की फोटो प्रमाणित प्रति के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत अरनिया की पत्रावली सं. 13 निर्णय दिनांक 05.08.2016 अनुसार इस पटटे की फोटो प्रमाणित प्रति में अंकित शर्त संख्या 01 व 03 की गैर निगराकार सं. 01 द्वारा स्पष्ट उल्लघंना की है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत अरनिया स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत अरनिया द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को पटटा सं. 01 दिनांक 20.06.2001 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत अरनिया को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

21/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा